डीजी परिपत्र संख्या- 38 /2023

विजय कुमार
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

पुलिस मुख्यालय, लखनऊ
दिनांक : लखनऊः सितम्बर ,2023

विषयः गोवंश के वध, दुधारू पशुओं एवं गोवंश के अवैध परिवहन (तस्करी) की घटनाओं की रोकथाम एवं अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने विषयक।

प्रिय महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि गोवंश के वध, दुधारू पशुओं एवं गोवंश के अवैध परिवहन (तस्करी) की रोकथाम हेतु मुख्यालय स्तर से पूर्व में परिपत्र/निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसका सम्यक अनुपालन न हो पाने के कारण प्रदेश में गोवध तथा गोवंश व दुधारू पशुओं का अनाधिकृत परिवहन (तस्करी) की घटनायें घटित होती रहती हैं। इस प्रकार के अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण न हो पाने के कारण इस क्रूर प्रवृत्ति के प्रति जनता में काफी आक्रोश उत्पन्न होता है तथा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था भी प्रभावित होती है।

उपरोक्त से सम्बन्धित आपके जोन/कमिश्नरेट से दिनांक 01-01-2023 से 31-07-2023 तक की प्राप्त आख्या/सूचना की मुख्यालय स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि कतिपय जनपदों यथा-बरेली-42, मेरठ-32, मुरादाबाद-24, सहारनपुर-24 व हापुड़ में 21 पंजीकृत किये गये हैं, जो सर्वाधिक हैं। पंजीकृत अभियोगों में काफी संख्या में अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही तथा विवेचनात्मक कार्यवाही किया जाना शेष है।

इस प्रकार के अवैध कृत्यों में संलिप्त गिरोहों/अपराधियों के विरूद्ध निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाय-

- गोवंश के वध व गोवंश तथा दुधारू पशुओं की तस्करी की विगत 10 वर्षों में घटित हुई घटनाओं को सूचीबद्ध कराते हुये इन अभियोगों में संलिप्त सक्रिय गिरोहों/अपराधियों के गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाय।
- गोवंश के वध व गोवंश तथा दुधारू पशुओं की तस्करी की घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी तंत्र विकसित किया जाय। इनके आवागमन, तस्करी के मार्ग व हॉट-स्पॉट को चिन्हित करते हुये उनके रोकथाम हेतु एक कार्ययोजना तैयार कराकर कार्यवाही की जाय।
- जहां पर भी गोवंश का वध अथवा वध किये जाने का प्रयास की सूचना प्राप्त हो, तो ऐसी सूचना पर तत्काल संज्ञान लेकर अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही की जाय तथा ऐसे अभियोगों की विवेचना के दौरान पुष्टि कारक साक्ष्यों का संकलन करते हुये संलिप्त अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाय।
- राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीम लगाकर अभियुक्तों से गहन पूछताछ करायी जाय। पूछताछ में अभियुक्तों की समूची चेन के अनावरण, गोवंश के परिवहन/तस्करी के मार्ग, श्रोत तथा मददगार/सहयोगियों का विवरण एकत्र करते हुये योजनाबद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही सम्पादित की जाय। साथ ही घटना में प्रयुक्त वाहन स्वामी की संलिप्तता की भी जॉच की जाय।
- कमिश्नरेट/जनपद के जिन थाना क्षेत्रों में उक्त घटनायें निरन्तर हो रही हैं, उन्हें हॉट-स्पॉट के रूप में चिन्हित कर प्रभावी रोकथाम हेतु कार्ययोजना तैयार की जाय। तस्करी के प्रचलित मार्गों पर वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में सचल (Mobile) रहकर आकस्मिक चेकिंग करायी जाय।
- कमिश्नरेट/जनपद के जिन थाना क्षेत्र में गोकशी की घटनायें निरन्तर घटित हो रही हैं, ऐसे थाना प्रभारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुये उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाय।
- प्रदेश की सीमा से जुड़े जोन/परिक्षेत्र/कमिश्नरेट/जनपद में विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध परिवहन (तस्करी) रोकने हेतु प्रभावी चेकिंग करायी जाय।

- जनपदों में स्थापित सोशल मीडिया सेल को इन मामलों के प्रति सतर्क कर दिया जाय। इन प्रकरणों की पतारसी/सुरागरसी हेतु बीट के आरक्षियों, डायल-112 आदि को सूचना संकलन एवं इस गतिविधि को रोकने हेतु ब्रीफ किया जाय तथा अभिसूचना तंत्र को भी सक्रिय व प्रभावी किया जाय।
- वांछित अभियुक्तों की सूची बनाकर टीम का गठन करते हुये शत्-प्रतिशत गिरफ्तारी करायी जाय। लम्बे समय से वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्या प्रयास किये गये, क्यो गिरफ्तारी नहीं हो पायी, इसमें किसकी लापरवाही रही, इसकी भी विधिवत समीक्षा की जाय।
- लम्बित अभियोगों की विवेचना गुण-दोष के आधार पर शीघ्रता से पूर्ण कराकर आरोप-पत्र मा0 न्यायालय को प्रेषित किये जायें। आरोप-पत्र प्रेषण के उपरान्त मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराकर शीघ्र विचारण कराते हुये अभियुक्तों को अधिकाधिक सजा दिलायी जाय।
- ऐसी घटनाओं को कारित करने वाले अभ्यस्त अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली जाय तथा सह अभियुक्तों/सहयोगियों को चिन्हित कर गैंग पंजीकरण की कार्यवाही करायी जाय एवं इनकी गतिविधियों की सतत निगरानी भी की जाय।
- गोवंश के वध व तुषारू पशुओं की अवैध तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों तथा गैंग के विरूद्ध रा0सु0का0/गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय।
- इस प्रकार के अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति का गैंगेस्टर अधिनियम की धारा-14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की जाय।
- पशु वधशालाओं के विरूद्ध स्थानीय प्रशासन तथा जिला मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय स्थापित करते हुये विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- गोवध अधिनियम के उपबंधों का पालन करते हुये अवैध परिवहन (तस्करी) के दौरान पकड़े गये पशुओं को नियमानुसार सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये गौशाला या ख्याति प्राप्त संस्था की सुपुर्दगी में दिया जाय।
- घटना स्थल से बरामद गोवंश के अवशेष अंग, मांस आदि का परीक्षण हेतु सैम्पल लेने के पश्चात उसका नियमानुसार विधिक/मर्यादा पूर्वक निस्तारण कराया जाय।
- गोवध तथा गोवंश तस्करी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से की गयी लापरवाहियों/संलिप्तताओं की समीक्षा कर दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध विधिसंगत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- जोन व परिक्षेत्र स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा करते हुये ऐसे अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण हेतु प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाय।

मैं चाहूंगा कि उपरोक्त निर्देशों से आप स्वयं अवगत होकर कमिश्नरेट/जनपद में एक गोष्ठी का आयोजन करें। गोष्ठी में अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को इन निर्देशों से भली-भॉति अवगत कराकर अनुपालन करायें। इन निर्देशों में किसी भी स्तर पर शिथिलता/ लापरवाही न बरती जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना/कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(विजय कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, डायल-112, उत्तर प्रदेश।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश।